(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 341–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–2–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 420/अपील/2013–14.

.....

1–हजारी लाल पुत्र रामसिंह
2–करनसिंह पुत्र रामसिंह किरार
निवासी ग्राम चिरहोली तहसील व जिला रायसेन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

कोमलसिंह पुत्र गनेशराम
निवासी चिरहोली तहसील व जिला रायसेन

..... अनावेदक

.....

श्री जी0पी0नायक , अभिभाषक– आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक– अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–2–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व स्वामित्व की ग्राम फिरोजपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 107/2 रकबा 2.695 हेक्टेयर का सीमांकन कराये जाने पर 4.78 एकड़ पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अत: अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा वापिस दिलाये जाने हेतु तहसीलदार सांची जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–3–2012 को आदेश

पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखली का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–6–14 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–2–15 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के प्रश्नाधीन भूमि के मेडिया कृषक नहीं होने के बावजूद सीमांकन में उन्हें व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई हैं और राजस्व निरीक्षक द्वारा एकपक्षीय सीमांकन किया गया है जो कि आवेदकगण पर बन्धनकारी नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण अनावेदक के न तो मेडिया कृषक है और न ही ग्राम में उनके नाम से कोई भूमि है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे नम्बर 107/2 रकबा 2.695 हेक्टेयर भूमि का रकबा खसरे में तो अंकित है किन्तु नक्शे में 4.78 एकड़ कम है अर्थात मामला नक्शा दुरूस्ती का है । अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शे के अनुसार पैमाईश कर सीमांकन नहीं किया गया है अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर बेदखली का आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन किया गया है जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा पाया गया है अतः तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाये जाने का आदेश देने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये तहसीलदार के

आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई हे । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमांकन आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । अतः सीमांकन से आवेदक व्यथित है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में सीमांकन को चुनौती देना चाहिये । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के किये गये सीमांकन में आवेदकगण ने अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है और सीमांकन अंतिम हो चुका है । अतः तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल करने संबंधी आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–02–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर